कार्मिक मध्यान्ह से कार्यालय छोड़ने की पद्धति छोड़े अथवा जिलाः—जिलाधिकारी

हरदोई / सू0वि0, 04 मई, 2017— जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने अपने आदेश में कहा कि अधिकारी / कर्मचारी शासकीय सेवा नियमावली एवं शासकीय आदेशों के अनुसार दायित्व निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि कुछ अधिकारी / कर्मचारी मध्यान्ह में कार्यालय छोड़ देते जो कदाचित शासकीय सेवा नियम के विपरीत हैं । उन्होने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुये कहा कि ऐसे कार्मिक जो मध्यान्ह में कार्यालय छोड़ देते है, वह अपनी इस पद्धति मे सुधार लाये अथवा जिले से तबादला अन्यत्र करवा लें। भविष्य में यदि ऐसा पाया गया कि अमुक अधिकारी / कर्मचारी ने बिना अनुमति के कार्यालय छोड़ा तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

———————————————

15 दिनों में कार्यालय हो वेल मेन्टेनः—जिलाधिकारी

02. जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने सभी विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्क्षों को आदेशित किया कि वह अपने व अपने अधीनस्थों के कार्यालयों को 15 दिन दिवस में वेल मेन्टेन करना सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कि स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ मानसिकता का विकास होता है जिसमें कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय में जमा अनावश्यक सामाग्री को नीलाम एवं अनावश्यक जमा अभिलेखों की वीडिंग कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कार्यालय में व्याप्त गन्दगी पान पीक आदि भी साफ कराये। उन्होने कहा कि 15 दिन के पश्चात् कार्यालयों के निरीक्षण का कार्यक्रम प्रारम्भ होगा। यदि किसी भी कार्यालय में गन्दगी अथवा अनावश्यक सामाग्री एवं अभिलेखी जमावड़ा पाया गया तो संबन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

———————————————